न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

(Bank Case)

GCMS No.2021 / 171

Manual no- 70/2021

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड जिसका कार्यालय मेन्टोर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर–302004 में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सतिष गौतम। – **प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

1. श्री राम कुमार पुत्र श्री नन्द लाल
   पता– प्लाट नंबर 19, घासी लाल पुर्व सरपंच के पास, रायपुरा उद्योग पुरी,तहसील– लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) **(ऋणी व बंधनकर्ता)**
2. श्री चौथमल पुत्र श्री राम कुमार
   पता– प्लाट नंबर 19, घासी लाल पुर्व सरपंच के पास, रायपुरा उद्योग पुरी,तहसील– लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) **(सह–ऋणी)**
3. श्रीमती चन्द्र कला पत्नि श्री राम कुमार
   पता– प्लाट नंबर 19, घासी लाल पुर्व सरपंच के पास, रायपुरा उद्योग पुरी,तहसील– लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) 324004
4. श्री दीपक कुमार पुत्र श्री राम कुमार
   पता– प्लाट नंबर 19, घासी लाल पुर्व सरपंच के पास, रायपुरा उद्योग पुरी,तहसील– लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.)
5. श्री गोबरी लाल पुत्र श्री मांगी लाल
   पता– नवप्रभात स्कूल के पास, प्रेम नगर प्रथम, जे.के. नगर,इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, जिला–कोटा (राज.)324003 **(जमानती)**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 08. 09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड जिसका कार्यालय मेन्टोर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर–302004 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से खाता नं. 5015767 दिनांक 16.07.2019 को 6,50,000/–(अक्षरेः छः लाख पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीराम कुमार पुत्र श्री नन्द लाल की सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 157, मौहल्ला रायपुरा , जिला एवं नगर निगम कोटा राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 913.75 वर्ग फीट है। सीमाएं पूर्व में–श्री बाड़ा, पश्चिम में– रोड़, उत्तर में– श्री छितर लाल का मकान, दक्षिण में– श्री रामकिशन का मकान है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 20.12.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी उसके खाते मे 9,65,692/–(अक्षरे रूपये नौ लाख पेषठ हजार छः सौ बरानवें रूपये।) बकाया रकम दिनांक 06.10.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.10.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 12.10.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 12.10.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्रीराम कुमार पुत्र श्री नन्द लाल की सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 157, मौहल्ला रायपुरा , जिला एवं नगर निगम कोटा राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 913.75 वर्ग फीट है। सीमाएं पूर्व में—श्री बाड़ा, पश्चिम में— रोड़, उत्तर में— श्री छितर लाल का मकान, दक्षिण में— श्री रामकिशन का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को सुनाया गया ।

8/9/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)